न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अम्बेडकरनगर।

पीठासीनः— राम विलास सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPAN010012712014

SC/ST/100032/2014

सरकार ———————————— अभियोजन

बनाम

1. रामशकल आयु लगभग—75 साल पुत्र स्व० मनराज राजभर।
2. झिनकू आयु लगभग 65 साल पुत्र स्व० मनराज राजभर।

निवासीगण ग्राम— कोटवा मोहम्मदपुर,ख थाना— कोतवाली अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर।

.....अभियुक्तगण

मु०अ०सं० संख्याः— 650/2010
धारा—323,325,भा.द.सं.
व धारा— 3(1)X एससी/एसटी एक्ट
थाना— कोतवाली अकबरपुर
जिला—अम्बेडकर नगर।

निर्णय

1. अभियुक्तगण रामशकल, झिनकू का विचारण उपरोक्त विशेष सत्र परीक्षण वाद में थाना—कोतवालीअकबरपुर, जिला—अम्बेडकर नगर की पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप—पत्र मु०अ०सं० संख्याः—650/2010 अंतर्गत धारा—323,325 भा.द.सं. व धारा—3(1)X एससी/एसटी एक्ट के आधार पर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी मुकदमा रामजीत पुत्र श्री मग्धू निवासी ग्राम व पोस्ट कोटवा मोहम्मदपुर थाना—कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा थाना कोतवाली अकबरपुर पर हस्तलिखित तहरीर जिस पर प्रदर्श क—1 अंकित है, इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी अपने खेत में कार्य कर रहा था कि विपक्षी राम शकल पुत्र मनराज व झिनकू पुत्र मनराज पूरे परिवार सहित आये। साथ में श्री राम निहोर वर्मा का ट्रैक्टर लेकर आये। जबरदस्ती जोतने लगे। मना करने पर अमादा फौजदारी हुए और मार पीट शुरु कर दिये। उक्त के सम्बन्ध में लगभग तीन—चार माह पूर्व प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र देकर विवाद समाप्त करने हेतु दिया था। परन्तु कुछ कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी जाति का चमार है। विपक्षी जाति के राजभर है। अतः निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जाए।

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2025.12.23 17:08:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. वादी मुकदमा की उपर्युक्त हस्तलिखित तहरीर के आधार पर थाना– कोतवाली अकबरपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रविष्टि संख्या–12 दिनांक 30.06.2010 समय 8.30बजे को अभियुक्तगण रामशकल, झिनकू के विरूद्ध मु०अ०सं० संख्याः– 650/2010 अंतर्गत धारा–323 भा व धारा– 3(1)X एससी/एसटी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया, जिस पर प्रदर्श क–5 अंकित है।

4. विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना, विवेचक ने गवाहान के बयान लिये, घटना–स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया जिस पर प्रदर्श क–3 अंकित है और विवेचनोपरांत विवेचक द्वारा अभियुक्तगण रामशकल, झिनकू के विरूद्ध मु०अ०सं० संख्याः– 650/2010 अंतर्गत धारा–323,325 भा.द.सं. व धारा– 3(1)X एससी / एसटी एक्ट के अंतर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर प्रदर्श क–4 अंकित है। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 13.08.2010 को प्रसंज्ञान लिया गया। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक–04.04.2014 को पत्रावली को सत्र न्यायालय को सत्र सुपुर्द किया गया।

5. न्यायालय सत्र न्यायाधीश,अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक–19.12.2014 को अभियुक्तगण रामशकल , झिनकू के विरूद्ध धारा–323/34,325/34 भा.द.सं. व धारा– 3(1)X एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोप विरचित किया गया। तत्पश्चात अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा पत्रावली को इस न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 के रूप में रामजीत को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने बयान में तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। पी.डब्लू.2 के रूप में जगलाल को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू.3 के रूप में निर्मला को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू.4 के रूप में डा० ए० के० सिहं को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने बयान में मजरूब रामजीत के एक्स–रे रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया है। पी.डब्लू.5 के रूप में आर० के० शर्मा को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने बयान में नक्शा नजरी को प्रदर्श क–3 व आरोप पत्र को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। पी.डब्लू. 6 के रूप में हे० का० विनोद कुमार को परिक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने बयान में एफ.आई.आर को प्रदर्श क–5 व कायमी जी.डी. को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है। पी.डब्लू.7 के रूप में डा० सुभाष चन्द चिकित्साधिकारी को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने बयान में मजरूब रामजीत की मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क–7 व

मजरूबा निर्मला की मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया है। अभियोजन की प्रार्थना पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुआ।

7. अभियोजन साक्ष्योपरांत अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें उसने लगाए गए आरोपों से इन्कार किया है तथा रंजिश के कारण मुकदमा चलाए जाने का कथन किया।

8. बचाव पक्ष की ओर से कोई सफाई साक्ष्य में डी.डब्लू.1 इन्द्रजीत को परीक्षित कराया गया।

9. मैंने प्रस्तुत मामले में राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यकरूपेण अवलोकन किया।

10. अभियोजन द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा रामजीत को एक राय होकर लाठी–डण्डों से मारपीट कर साधारण उपहति कारित किया तथा उसे मार कर उसके बाये हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर कारित किया व वादी मुकदमा उपरोक्त को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति चमार है उसे सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के लिए जाति सूचक गन्दी–गन्दी गालियां दी। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य से एवं पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्रों से घटना की पुष्टि होती है, और अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

11. उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं और अभियोजन, अभियोग कथानक को संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। अभियोग मिथ्या है। रंजिशन के कारण झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मामले के तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभास है। अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

12. अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि दिनांक–30.06.2010 को समय करीब 6. 45बजे सुबह स्थान खेत वादी स्थित ग्राम कोटवा, मुहम्मदपुर थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर के अंतर्गत आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा रामजीत को एक राय होकर लाठी–डण्डों से मारपीट कर साधारण उपहति कारित किया उसके बाये हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर कारित किया व वादी मुकदमा उपरोक्त को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति चमार है उसे सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के लिए जाति सूचक गन्दी–गन्दी गालियां दी।

13. आपराधिक प्रकरण में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार होता है कि अभियोजन, अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। अब देखना यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्धधारा–323/34,325/34 आई.पी.सी व धारा–3(1)X एससी/एसटी एक्ट के आरोप को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा हैं

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

14. साक्षी पी.डब्लू.1. रामजीत ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " मैं मुल्जिमान को भलीभांति जानता व पहचानता हूँ। मुल्जिमान मेरे गांव के है। जिनके नाम रामशकल व झिनकू है। मुल्जिमान जाति के राजभर है। मैं जाति का चमार हूँ। मेरे पिता मग्धू के नाम गाटा संख्या–875क व ग में दो बीघा .8 बिस्वा पट्टा मिला था। जिस पर काफी समय से हम काबिज थे। उसी जमीन को विपक्षीगण कब्जा करना चाहते थे। घटना दिनांक 30.06.2010 की समय सुबह 6.47 बजे की है। अभियुक्त झिनकू रामनिहोर का ट्रैक्टर लेकर मेरी जमीन को जरबदस्ती जोतने लगे तो मैंने मना किया। अभियुक्तगण कहे कि तेरी मां को चोदू भोसड़ी वाले कहकर लाठी डण्डा से मुझे मारने लगे। मेरे भाई जगलाल बहन निर्मला देवी बचाने लगे तो झिनकू व रामशकल लाठी डण्डे से उन्हें भी मारने लगे। हम लोगों के शोर पर मेरे पिता मग्धू व रामअजोर आ गये तब मुल्जिमान मारना पीटना छोड़कर चले गये। मुल्जिमान के मारने से मेरे बांये हाथ का अंगूठा टूट गया था। उसी दिन थाना कोतवाली अकबरपुर में जाकर तहरीर देकर रिपोर्ट लिखायी। तहरीर शामिल मिसिल को देखकर गवाह ने कहा कि यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उसी दिन पुलिस ने मेरे, मेरे भाई जगलाल व बहन निर्मला की चोटों का डाक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल अकबरपुर में कराया तथा बायें हाथ के अंगूठे के एक्स–रे के लिए डाक्टर ने जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर रेफर कर दिया। दूसरे दिन मेरे अंगूठे का एक्स–रे हुआ। सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया था।"

15. साक्षी पी.डब्लू.2. जगलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं जाति का चमार हूँ। मेरे पिता जी मग्धू को गाटा सं०–875 क व ग में दो बीघा आठ बिस्वा बहुत पहले पट्टा मिला था। जिस पर हम लोगों का कब्जा था। इसी गाटा सं. में रामशकल को भी पट्टा मिला था। वे अपने पट्टे की जमीन पर कब्जा न करके मेरे पट्टा वाली जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इसी रंजिश को लेकर आज से लगभग साढ़े पांच साल पहले सात पौने सात बजे मुल्जिमान रामशकल व झिनकू जो मेरे गांव के रहने वाले है। जो जाति के राजभर है। ट्रैक्टर लेकर आये मेरे पट्टे वाली जमीन को जोतने लगे। मेरे भाई रामजीत उसी खेत पर काम कर रहे थे। मेरे भाई रामजीत ने खेत जोतने से मना किया तो दोनों उपरोक्त

मुल्जिमान मेरे भाई रामजीत को लाठी डण्डे से मारने लगे। मैं व मेरी बहिन निर्मला देवी बीच बचाव करने पहुँचे तो उपरोक्त दोनों मुल्जिमान मेरे बहिन निर्मला को मार पीटा। मारते समय मुल्जिमान चमार साले चमकटिया की जात मादरचोद कह रहे थे। हम लोगों के शोर पर गांव की आबादी दूर होने के कारण कोई आ नहीं सका। मुल्जिमान के मारने से मुझे, मेरे भाई राजजीत व बहिन निर्मला को चोटे आयी। उसी दिन मैं मेरी दीदी निर्मला व भाई रामजीत के साथ कोतवाली अकबरपुर गये। मेरे भाई तहरीर देकर थाने में रिपोर्ट लिखायी। थाना कोतवाली अकबरपुर की पुलिस ने मेरा, मेरे भाई रामजीत व निर्मला के चोटों का डाक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल अकबरपुर में कराया। मुल्जिमान के मारने से मेरे भाई रामजीत का बांये हाथ का अंगूठा टूट गया था। जिसके एक्स–रे के लिए डाक्टर ने जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर रेफर कर दिया था। सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था। तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया था।"

16. साक्षी पी.डब्लू.3 निर्मला ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " आज से करीब 6 वर्ष पूर्व की घटना है। सुबह के करीब पौने सात बजे थे। उस समय में अपने मायके कोटवा मुहम्मदपुर गई थी। घटना के समय मुल्जिमान रामशकल , झिनकू ट्रैक्टर लेकर आये और मेरे भाई रामजीत के पट्टे की जमीन को जबरदस्ती जोतने लगे। जब मेरे भाई ने खेत जोतने से मना किया तो ये लोग लाठी डण्डे से मेरे भाई को मारने लगे। हल्ला गुहार पर मैं व मेरे भाई जगलाल बचाने पहुंचे तो ये लोग मुझे तथा मेरे भाई जगलाल को भी मारने पीटने लगे। जिस से मुझे भी चोटे आयी। मेरे माथे पर चोट आयी थी। जो लाठी डन्डे से आयी थी। जिस पर दवा लगाया गया था। घटना वाले दिन हम लोग गये थे जहां पर मेरे भाई रामजीत ने रिपोर्ट लिखाई थी। मेरा चिकित्सीय परीक्षण सरकारी अस्पताल अकबरपुर में हुआ था। रिपोर्ट लिखी जाने के लगभग एक महिने बाद सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था।

17. साक्षी पी.डब्लू.4. डा० ए० के० सिहं ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं दिनांक 01.07.2010 को रेडियोलॉजिस्ट के पद पर संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकरनगर मैं तैनात था। उस दिन चोटहिल रामजीत निवासी ग्राम कोटवा मुहम्मदपुर थाना कोतवाली अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर के बांये अंगूठे का एक्स–रे अपने देख रेख में कराया था। एक्स–रे प्लेट के निरीक्षण से बाये अंगूठे के निचले सिरे पर हड्डी ताजी टूटी थी। चोटहिल को सिपाही मित्रसेन सिंह लाया था। चोटहिल पी.एच.सी अकबरपुर से एक्स–रे हेतु रेफर किया गया था। एक्स–रे प्लेट के निरीक्षण के समय ही मैंने रिपोर्ट एक्स–रे अपने लेख व हस्ताक्षर मैं तैयार किया था। जो अंकित पत्रावली है जिसे पर प्रदर्श क–2 व एक्स–रे प्लेट पर भी मजरूब का निशानी अंगूठा अंकित है। जो प्लेट सं० 2450 अंकित पत्रावली है। इस पर वस्तु प्रदर्श 1 डाला गया।"

18. साक्षी पी.डब्लू.5 आर० के० शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि " मैं वर्ष 2010 में क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के पद पर नियुक्त एवं कार्यरत था। दिनांक–30.06. 2010 को थाना को० अकबरपुर में पंजीकृत अपराध संख्या–650/2010, धारा–323 IPC व 3(1)X एस.सी./एस.टीय एक्ट की विवेचना मेरे द्वारा इसी दिन प्रारम्भ की गयी थी।पर्चा नम्बर–01 दिनाँक 30.06.2010 को मेरे द्वारा किता किया गया था जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी श्री राम जीत का बयान व उनके निशादेही पर निरीक्षण घटना स्थल करने के पश्चात नक्शा नजरी मौके पर बनाया गया था। पत्रावली में कागज संख्या 5 अ/8 नक्शा नजरी है जो मेरे समक्ष है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। इसी दिन को० अकबरपुर पहुंच कर एफ. आई. आर. लेखक का० विनोद कुमार यादव का बयान अकित करने के पश्चात मुकदमा कायमी लेखक का० राम नयन यादव बयान अकित किया गया है। इन्जरी रिपोर्ट मजरूब/वादी श्री रामजीत व मजसब जगलाल व मजरूबा श्रीमती निर्मला देवी का अवलोकन का तस्करा केस डायरी में अंकित किया गया था। पर्चा नम्बर–02 दिनोंक–01.07.2010 को किता किया गया था। जिसमें गिरफ्तार सुदा अभियुक्त राम शकल राजभर का बयान थाना को० अकबरपुर में लिया गया था। पर्चा नम्बर–03 दिनांक–22.07.2010 को किता किया गया था। जिसमें वादी मुकदमा रामजीत के एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर धारा 325 आई.पी.सी. की बढ़ोत्तरी की गयी थी। पर्चा नम्बर–04 दिनाँक 03.08.2010 को किता किया गया था। जिसमें मजरूब जगलाल व मजरूबा श्रीमती निर्मला देवी का बयान अंकित किया गया था। शेष अभियुक्त झिन्कू की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया था। शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत इसके विरूद्ध अन्य कार्यवाही सम्भव न पाते हुए अभियुक्त राम शकल राजभर व झिन्कू पुत्रगण मनराज राजभर निवासीगण ग्राम कोटवा महमदपुर थाना को० अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर के विरूद्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र संख्या–09/2010, धारा 323, 325 IPC व 3 (1) 10 एस.सी.एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया था। जो पत्रावली में सलग्न कागज सख्या–3 अ आरोप पत्र है। जो में समक्ष है जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क –4 डाला गया।

19. साक्षी पी.डब्लू.6 हे० का० विनोद कुमार यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि मु०अ०सं०–650/2010 दिनोंक–30.06.2010 को थाना कोतवाली अकबरपुर मे पंजीकृत हुआ था। मैं उक्त दिनाँक को का० मुन्सी के पद पर थाना को० अकबरपुर में कार्यरत था जो पत्रावली में संलग्न कागज सख्या–4 अ/1 प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जिसे मेरे द्वारा वादी मुकदमा रामजीत के प्रार्थना पत्र के अनुसार अक्षरशः बोल बोल कर कम्प्यूटर में अंकित कराया गया था। जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी विमल कुमार सिंह के हस्ताक्षर

बने है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। पत्रावली में सलग्न कायमी जी.डी. है जो आज मेरे समक्ष है, जो जी.डी. सख्या–12 है, जो समय 08.30 बजे मेरे द्वारा दिनोंक–30.06.2010 को किता किया गया था। जो मेरे हस्तलेख में है. जिसे मैं तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

20. साक्षी पी.डब्लू.7 डा० सुभाष चन्द्र चिकित्साधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि मैं दिनोंक–30.06.2010 को चिकित्साधिकारी के पद पर पी.एच.सी. अकबरपुर में कार्यरत था। उक्त दिनाँक को मजरूब रामजीत उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र श्री मग्धू, निवासी ग्राम–कोटवा महमूदपुर थाना को० अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर को सी.पी. –341 इन्द्रदेव थाना को० अकबरपुर द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु समय सुबह 09.40 बजे लाया गया था जिसकी पहचान चिह्न काला तिल का निशान एपीगैस्टिक रीजन पर मौजूद था जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था जिसको निम्न चोटे आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूब के सिर पर फटा घाव जिसकी साइज 0.9X0.5 सेन्टीमीटर का था, जो बाये कान से 14 सेन्टीमीटर ऊपर थी

चोट नम्बर–2 मजरूब के बायी नाक पर खरोच का निशान था जिसका साइज 1.5X0.6 सेन्टीमीटर था।

चोट नम्बर–3 मजरूब के बायें हाथ के अंगूठे पर फटा घाव था जिसकी साइज 3X0.5 सेन्टीमीटर था।

चोट नम्बर–4 मजरूब को सूजन व खरोच था जिसकी साइज 4X2 सेन्टीमीटर था, जो बायी अगूठे पर मौजूद था। चोट की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे हेतु जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। मेरी राय में चोट नम्बर–04 को छोड़कर शेष सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी। जो किसी ठोस वस्तु या कुन्दालय से आना सम्भव है। सभी चोटे ताजी थी।पत्रावली में सलग्न कागज संख्या–5 अ/5 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। दिनाँक–30.06.2010 को ही मजरूबा निर्मला देवी उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी राम अर्ज, निवासी ग्राम–कोटवा महमूदपुर थाना को० अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर को सी.पी.–341 इन्द्रदेव थाना को० अकबरपुर द्व ारा मेडिकल परीक्षण हेतु समय सुबह 09.50 बजे लायी गयी थी जिसकी पहचान चिह्न बायी तरफ चेहरे पर काला तिल का निशान था जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था जिसको निम्न चोटे आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूबा के सिर पर फटा घाव जिसकी साइज 2X1 सेन्टीमीटर का था, जो रूट आफ नोज से 4.5 सेन्टीमीटर ऊपर थी। मेरी राय में चोट साधारण प्रकृति की थी। जो किसी ठोस वस्तु या कुन्दालय से आना सम्भव है। चोट लगभग ताजी थी। पत्रावली में

सलग्न कागज सख्या–5 अ/7 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। दिनाँक–30.06.2010 को ही मजरूब जगलाल उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र श्री मग्धू, निवासी ग्राम–कोटवा महमूदपुर थाना को० अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर को सी.पी.–341 इन्द्रदेव थाना को० अकबरपुर द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु समय सुबह 09.30 बजे लाया गया था जिसकी पहचान चिह्न बायीं तरफ गर्दन पर काला तिल का निशान मौजूद था जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था जिसको निम्न चोटे आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूब के सिर के बीच में फटा घाव था, जिसकी साइज 4X0.6 सेन्टीमीटर का था, जो कि बाये कान से 16 सेन्टीमीटर ऊपर थी।

चोट नम्बर–2 मजरूब को निलगू के साथ सूजन था, सूजन का साइज 10X13 सेन्टीमीटर था और निलगू का साइज 8X1 सेन्टीमीटर था, यह चोट बायी स्कैपुला पर थी। जिसको एक्सरे के लिए सलाह दी गयी थी। लेकिन कोई जाहिरा चोट नही थी।

चोट नम्बर–3 मजरूब के हाथ में अग्रबाहू पर दर्द की शिकायत बतायी गयी थी।

चोट नम्बर–4 मजरूब के दाहिने हाथ पर निलगू का निशान था, जिसकी साइज 4X1 सेन्टीमीटर थी। जिसका रंग लाल था। जो सीधे कन्धे से 06 सेन्टीमीटर नीचे थी।

चोट नम्बर–5 मजरूब के बायीं फोर आर्म पर निलगू का निशान था। जिसका रंग लाल था। जिसकी साइज 4X1 सेन्टीमीटर थी। यह चोट दाहिने कलाई से 03 सेन्टीमीटर ऊपर थी।मेरी राय में चोट नम्बर–02 को छोड़कर शेष सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी। जो किसी ठोस वस्तु या कुन्दालय से आना सम्भव है। सभी चोटे ताजी थी। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5 अ/6 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया।

21. अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर उसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया । अब न्यायालय को यह देखना है कि, क्या अभियुक्तगण पर जिन आपराधिक धाराओं में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है और जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे अभियुक्तगण पर अपराध बिना संदेह के पूरी तौर पर साबित होता है अथवा नहीं

22. अभियोजन की ओर से साक्षी पी.डब्लू.1 के रूप में रामजीत को परीक्षित कराया गया है जो प्रकरण की वादी मुकदमा है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि– ''मैं मुल्जिमान को भलीभांति जानता व पहचानता हूँ। मुल्जिमान मेरे गांव के है। जिनके नाम रामशकल व झिनकू है। मुल्जिमान जाति के राजभर है। मैं जाति का चमार हूँ। मेरे पिता मग्धू के नाम गाटा संख्या–875क व ग में दो बीघा 8 बिस्वा पट्टा मिला था। जिस पर काफी

समय से हम काबिज थे। उसी जमीन को विपक्षीगण कब्जा करना चाहते थे। घटना दिनांक 30.06.2010 की समय सुबह 6.47 बजे की है। **अभियुक्त झिनकू रामनिहोर का ट्रैक्टर लेकर मेरी जमीन को जरबदस्ती जोतने लगे तो मैंने मना किया। अभियुक्तगण कहे कि तेरी मां को चोदू भोसडी वाले कहकर लाठी डण्डा से मुझे मारने लगे। मेरे भाई जगलाल बहन निर्मला देवी बचाने लगे तो झिनकू व रामशकल लाठी डण्डे से उन्हें भी मारने लगे।** हम लोगों के शोर पर मेरे पिता मग्धू व रामअजोर आ गये तब मुल्जिमान मारना पीटना छोडकर चले गये। **मुल्जिमान के मारने से मेरे बांये हाथ का अंगूठा टूट गया था।** उसी दिन थाना कोतवाली अकबरपुर में जाकर तहरीर देकर रिपोर्ट लिखायी। तहरीर शामिल मिसिल को देखकर गवाह ने कहा कि यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उसी दिन पुलिस ने मेरे, मेरे भाई जगलाल व बहन निर्माला की चोटों का डाक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल अकबरपुर में कराया तथा बायें हाथ के अंगूठे के एक्स–रे के लिए डा० ने जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर रेफर कर दिया। दूसरे दिन मेरे अंगूठे का एक्स–रे हुआ। सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया था।" इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्तगण उसके पट्टाशुदा जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और ट्रैक्टर लेकर उक्त जमीन को जोतने लगे। जब उसने मना किया तो अभियुक्तगण गालियां देते हुए उसे लाठी डण्डा से मारने लगे और जब उसे बचाने उसके भाई जगलाल व बहन निर्मला आयी तो उन्हें भी मारा पीटा तथा अभियुक्तगण के मारने से उसके बायें हाथ का अंगूठा टूट गया था व जातिसूचक गालियां दिये। इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''घटना आज से लगभग पौने पांच साल पहले की है। पौने सात बजे सुबह का समय था। विवाद जमीन को लेकर हुआ था। यह दोनों जमीने पट्टे की है। दोनों जमीन आपस में सटी है। मुल्जिमान की जमीन दूसरी जगह है। बीच में चकमार्ग है।.....तहरीर मैंने स्वंय लिखकर थाने में दिया था। मेरा हस्ताक्षर यही है जो कोष्ठक में है। अलग से मैंने तहरीर पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया था।.....**मुझे घटना में कई चोट आयी थी। मेरे अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया था। मेरे पैर में पीठ में व सिर में भी चोटें आयी थी।.....मारपीट लगभग 15–20 मिनट हुई थी। गाली मुल्जिमान सभी लोग दे रहे थे। मुल्जिमान कह रहे थे कि चमार की झांट साले तुमको रहने नहीं देंगे।** '' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इस साक्षी से बचाव

पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार से जिरह किया गया किन्तु इस साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिसका बचाव पक्ष को कोई लाभ मिल सके।

23. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू.2 के रूप में जगलाल** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि– "मैं जाति का चमार हूँ। मेरे पिता जी मग्धू को गाटा सं०–875 क व ग में दो बीघा आठ बिस्वा बहुत पहले पट्टा मिला था। जिस पर हम लोगों का कब्जा था। इसी गाटा सं. में रामशकल को भी पट्टा मिला था। वे अपने पट्टे की जमीन पर कब्जा न करके मेरे पट्टा वाली जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इसी रंजिश को लेकर आज से लगभग साढे पांच साल पहले सात पौने सात बजे **मुल्जिमान रामशकल व झिनकू जो मेरे गांव के रहने वाले है। जो जाति के राजभर है। ट्रैक्टर लेकर आये मेरे पट्टे वाली जमीन को जोतने लगे। मेरे भाई रामजीत उसी खेत पर काम कर रहे थे। मेरे भाई रामजीत ने खेत जोतने से मना किया तो दोनों उपरोक्त मुल्जिमान मेरे भाई रामजीत को लाठी डण्डे से मारने लगे। मैं व मेरी बहन निर्मला देवी बीच बचाव करने पहुँचे तो उपरोक्त दोनों मुल्जिमान मेरे बहन निर्मला को मारा पीटा। मारते समय मुल्जिमान चमार साले चमकटिया की जात मादरचोद कह रहे थे। हम लोगों के शोर पर गांव की आबादी दूर होने के कारण कोई आ नहीं सका। मुल्जिमान के मारने से मुझे, मेरे भाई राजजीत व बहिन निर्मला को चोटे आयी।** उसी दिन मैं मेरी दीदी निर्मला व भाई रामजीत के साथ कोतवाली अकबरपुर गये। मेरे भाई तहरीर देकर थाने में रिपोर्ट लिखायी। थाना कोतवाली अकबरपुर की पुलिस ने मेरा, मेरे भाई रामजीत व निर्मला के चोटों का डाक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल अकबरपुर में कराया। **मुल्जिमान के मारने से मेरे भाई रामजीत का बांये हाथ का अंगूठा टूट गया था।** जिसके एक्स–रे के लिए डाक्टर ने जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर रेफर कर दिया था। सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था। तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया था।" इस साक्षी द्वारा भी अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि मुल्जिमान घटना वाले दिन टैक्टर लेकर उसे पट्टे वाली जमीन पर आये और जोतने लगे जिस पर रामजीत ने मना किया तो मुल्जिमान रामजीत को लाठी डण्डा से मारने लगे। शोर पर जब यह साक्षी व उसकी बहन निर्मला बचाने गये तो उन्हें भी मुल्जिमानों ने मारा पीटा व जातिसूचक गालियां दिया तथा यह भी कथन किया है कि मुल्जिमान के मारने से रामजीत के बाये हाथ का अंगूठा टूट गया था।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''घटना सुबह 6.30 बजे की है। घटना का महीना मुझे याद नहीं है। जिस जमीन में मैं काम कर रहा था वह पट्टे की जमीन थी। पट्टा मेरे पिता के नाम है। .....मुल्जिमान

टैक्टर से लाठी डण्डा लेकर आये। मुल्जिमान की संख्या–चार थी। सभी लोगों के हाथ लाठी डण्डा नहीं था। तीन लोगों के हाथ में लाठी डण्डा था। जब ये लोग आये तो झिनकू टैक्टर से खेत जोतने लगे। तब मेरे भाई ने मना किया तो मुल्जिमान गाली देने लगे। .....मुझे भी मार पीट के दौरान चोट आयी थी। मुल्जिमान को कोई चोट आयी थी कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मेरे सिर पर,माथे पर,बायें कंधे पर व पीठ में चोट आयी थी। मुझे खून बह रहा था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से विस्तार से जिरह की गयी किन्तु इसके जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिसका बचाव पक्ष को कोई लाभ मिल सके।

24. अभियोजन द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.3 के रूप में निर्मला** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि– ''आज से करीब 6 वर्ष पूर्व की घ ाटना है। सुबह के करीब पौने सात बजे थे। उस समय में अपने मायके कोटवा मुहम्मदपुर गई थी। घटना के समय मुल्जिमान रामशकल, झिनकू ट्रैक्टर लेकर आये और मेरे भाई रामजीत के पट्टे की जमीन को जबरदस्ती जोतने लगे। **जब मेरे भाई ने खेत जोतने से मना किया तो ये लोग लाठी डण्डे से मेरे भाई को मारने लगे। हल्ला गुहार पर मैं व मेरे भाई जगलाल बचाने पहुंची तो ये लोग मुझे तथा मेरे भाई जगलाल को भी मारने पीटने लगे। जिस से मुझे भी चोटे आयी। मेरे माथे पर चोट आयी थी। जो लाठी डन्डे से आयी थी।** जिस पर दवा लगाया गया था। घटना वाले दिन हम लोग गये थे जहां पर मेरे भाई रामजीत ने रिपोर्ट लिखाई थी। मेरा चिकित्सीय परीक्षण सरकारी अस्पताल अकबरपुर में हुआ था। रिपोर्ट लिखी जाने के लगभग एक महिने बाद सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि मुल्जिमान ट्रैक्टर लेकर आये और उसके भाई का खेत जोतने लगे और जब उसके भाई रामजीत ने खेत जोतने से मना किया तो मुल्जिमान उसके भाई को लाठी डण्डा से मारने लगे। हल्ला गुहार पर जब वह व उसके भाई जगलाल मौके पर गये तो उन्हें भी मुल्जिमान ने मारा पीटा। इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''घटना हुए लगभग सात साल बीत चुका है। मेरे व मुल्जिमान के बीच जमीन के विवाद को लेकर झगडा हुआ था। घटना के समय मैं अपने मायके गयी थी। मैंने घटना देखी है और मुझे चोट भी आयी थी। .....जिस जमीन का झगडा था वह पट्टाशुदा जमीन है। उस जमीन में मेरे पिता खेती करते है। .....जब ये टैक्टर से खेत जोतने लगे तभी झगडा व मारपीट हुई। मारपीट के समय कोई और नहीं आया था। मार पीट के समय मेरे दोनों छोटे

भाई थे। मारपीट के अलावा और कोई बात नहीं हुई। चोट मेरे भाई रामजीत के अंगूठे में आयी थी। अंगूठा फट गया था। वह चोट उनको लाठी से लगी थी और मेरे भाई जगलाल के सिर में चोट लगी थी। चोट मुझे भी लगी थी। मेरा दांत टूट गया था और मेरे शरीर में हल्की फुल्की चोट आयी थी। हम लोगों की डाक्टरी उसी दिन हुई थी।''इसप्रकार इस साक्षी द्वारा भी अपने जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से विस्तार से जिरह की गयी किन्तु इसके जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिसका बचाव पक्ष को कोई लाभ मिल सके।

25. अभियोजन द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.4 के रूप में डा० ए० के० सिंह** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया कि–'' मैं दिनांक 01.07.2010 को रेडियोलॉजिस्ट के पद पर संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकरनगर मैं तैनात था। उस दिन चोटहिल रामजीत निवासी ग्राम कोटवा मुहम्मदपुर थाना कोतवाली अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर के बांये अंगूठे का एक्स–रे अपने देख रेख में कराया था। **एक्स–रे प्लेट के निरीक्षण से बाये अंगूठे के निचले सिरे पर हड्डी ताजी टूटी थी।** चोटहिल मित्रसेन सिंह लाया था। चोटहिल पी.एच.सी अकबरपुर से एक्स–रे हेतु रेफर किया गया था। एक्स–रे प्लेट के निरीक्षण के समय ही मैंने रिपोर्ट एक्स–रे अपने लेख व हस्ताक्षर मैं तैयार किया था। जो अंकित पत्रावली है जिसे पर प्रदर्श क–2 व एक्स–रे प्लेट पर भी मजरूब का निशानी अंगूठा अंकित है। जो प्लेट सं० 2450 अंकित पत्रावली है। इस पर वस्तु प्रदर्श 1 डाला गया।" इसप्रकार इस विशेषज्ञ साक्षी के बयान के परिशीलन से भी यह स्पष्ट है कि मजरूब रामजीत के बाये हाथ के अंगूठे की हड्डी टूटी थी। इसप्रकार चिकित्सीय साक्ष्य में भी रामजीत के अंगूठे की हडडी टूटी हुई पायी गयी है जिससे भी अभियोजन कथानक का समर्थन होता है।

26. अभियोजन द्वारा **साक्षी पी.डब्लू.5 के रूप में आर.के.शर्मा** को परीक्षित कराया है। इस साक्षी ने अपने बयान में यह कथन किया है कि–''मैं वर्ष 2010 में क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के पद पर नियुक्त एवं कार्यरत था। दिनांक–30.06.2010 को थाना को० अकबरपुर में पंजीकृत अपराध संख्या–650/2010, धारा–323 IPC व 3(1)X एस.सी./एस.टीय एक्ट की विवेचना मेरे द्वारा इसी दिन प्रारम्भ की गयी थी।पर्चा नम्बर–01 दिनाँक 30.06.2010 को मेरे द्वारा किता किया गया था जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी श्री राम जीत का बयान व उनके निशादेही पर निरीक्षण घटना स्थल करने के पश्चात नक्शा नजरी मौके पर बनाया गया था। पत्रावली में कागज संख्या 5 अ/8 नक्शा नजरी है जो मेरे समक्ष है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। इसी दिन को० अकबरपुर पहुंच कर एफ. आई. आर. लेखक का० विनोद कुमार यादव का बयान अकित

करने के पश्चात मुकदमा कायमी लेखक का० राम नयन यादव का बयान अकित किया गया है। इन्जरी रिपोर्ट मजरूब/वादी श्री रामजीत व मजरूब जगलाल व मजरूबा श्रीमती निर्मला देवी का अवलोकन कर तस्करा केस डायरी में अंकित किया गया था। पर्चा नम्बर–02 दिनोंक–01.07.2010 को किता किया गया था। जिसमें गिरफ्तार सुदा अभियुक्त राम शकल राजभर का बयान थाना को० अकबरपुर में लिया गया था। पर्चा नम्बर–03 दिनांक–22.07. 2010 को किता किया गया था। जिसमें वादी मुकदमा रामजीत के एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर धारा 325 आई.पी.सी. की बढोत्तरी की गयी थी। पर्चा नम्बर–04 दिनाँक 03.08.2010 को किता किया गया था। जिसमें मजरूब जगलाल व मजरूबा श्रीमती निर्मला देवी का बयान अंकित किया गया था। शेष अभियुक्त झिन्कू की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया था। शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत इसके विरूद्ध अन्य कार्यवाही सम्भव न पाते हुए अभियुक्त राम शकल राजभर व झिन्कू पुत्रगण मनराज राजभर निवासीगण ग्राम कोटवा महमदपुर थाना को० अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर के विरूद्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र संख्या–09/2010, धारा 323, 325 IPC व 3 (1) 10 एस.सी.एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया था। जो पत्रावली में सलग्न कागज सख्या–3 अ आरोप पत्र है। जो में समक्ष है जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क –4 डाला गया।''

27. अभियोजन द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.6 के रूप में हे.कां. विनोद कुमार यादव** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया कि–''मु०अ०सं०–650/2010 दिनोंक–30.06.2010 को थाना कोतवाली अकबरपुर मे पंजीकृत हुआ था। मैं उक्त दिनाँक को का० मुन्सी के पद पर थाना को० अकबरपुर में कार्यरत था जो पत्रावली में संलग्न कागज सख्या–4 अ/1 प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जिसे मेरे द्वारा वादी मुकदमा रामजीत के प्रार्थना पत्र अनुसार अक्षरशः बोल बोल कर कम्प्यूटर में अंकित कराया गया था। जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी विमल कुमार सिंह के हस्ताक्षर बने है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। पत्रावली में सलग्न कायमी जी.डी. है जो आज मेरे समक्ष है, जो जी.डी. सख्या–12 है, जो समय 08.30 बजे मेरे द्वारा दिनोंक–30.06. 2010 को किता किया गया था। जो मेरे हस्तलेख में है. जिसे मैं तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।'' यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है।

28. अभियोजन द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.7 के रूप में डा0 सुभाष चन्द्र** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया कि–''मैं दिनांक–30.06.2010 को चिकित्साधिकारी के पद पर पी.एच.सी. अकबरपुर में कार्यरत था। उक्त दिनाँक को मजरूब रामजीत उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र श्री मग्धू, निवासी ग्राम–कोटवा महमूदपुर थाना को०

अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर को सी.पी.–341 इन्द्रदेव थाना को० अकबरपुर द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु समय सुबह 09.40 बजे लाया गया था जिसकी पहचान चिह्न काला तिल का निशान एपीगैस्टिक रीजन पर मौजूद था जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था जिसको निम्न चोटे आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूब के सिर पर फटा घाव जिसकी साइज 0.9X0.5 सेन्टीमीटर का था, जो बाये कान से 14 सेन्टीमीटर ऊपर थी

चोट नम्बर–2 मजरूब के बायी नाक पर खरोच का निशान था जिसका साइज 1.5X0.6 सेन्टीमीटर था।

चोट नम्बर–3 मजरूब के बायीं हाथ के अंगूठे पर फटा घाव था जिसकी साइज 3X0.5 सेन्टीमीटर था।

चोट नम्बर–4 मजरूब को सूजन व खरोज था जिसकी साइज 4X2 सेन्टीमीटर था, जो बायी अगूठे पर मौजूद था। चोट की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे हेतु जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। मेरी राय में चोट नम्बर–04 को छोडकर शेष सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी। जो किसी ठोस वस्तु या कुन्दालय से आना सम्भव है। सभी चोटे ताजी थी।पत्रावली में सलग्न कागज संख्या–5 अ/5 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। दिनाँक–30.06.2010 को ही मजरूबा निर्मला देवी उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी राम अर्ज, निवासी ग्राम–कोटवा महमूदपुर थाना को० अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर को सी.पी.–341 इन्द्रदेव थाना को० अकबरपुर द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु समय सुबह 09.50 बजे लायी गयी थी जिसकी पहचान चिह्न बायी तरफ चेहरे पर काला तिल का निशान था जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था जिसको निम्न चोटे आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूबा के सिर पर फटा घाव जिसकी साइज 2X1 सेन्टीमीटर का था, जो रूट आफ नोज से 4.5 सेन्टीमीटर ऊपर थी। मेरी राय में चोट साधारण प्रकृति की थी। जो किसी ठोस वस्तु या कुन्दालय से आना सम्भव है। चोट लगभग ताजी थी। पत्रावली में सलग्न कागज सख्या–5 अ/7 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–8 प्रदर्श डाला गया। दिनाँक–30.06.2010 को ही मजरूब जगलाल उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र श्री मग्धू, निवासी ग्राम–कोटवा महमूदपुर थाना को० अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर को सी.पी.–341 इन्द्रदेव थाना को० अकबरपुर द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु समय सुबह 09.30 बजे लाया गया था जिसकी पहचान चिह्न बायीं तरफ गर्दन पर काला तिल का निशान मौजूद था जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था जिसको निम्न चोटे आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूब के सिर के बीच में फटा घाव था, जिसकी साइज 4X0.6 सेन्टीमीटर का था, जो कि बाये कान से 16 सेन्टीमीटर ऊपर थी।

चोट नम्बर–2 मजरूब को निलगू के साथ सूजन था, सूजन का साइज 10X13 सेन्टीमीटर था और निलगू का साइज 8X1 सेन्टीमीटर था, यह चोट बायी स्कैपुला पर थी। जिसको एक्सरे के लिए सलाह दी गयी थी। लेकिन कोई जाहिरा चोट नही थी।

चोट नम्बर–3 मजरूब के हाथ में अग्रबाहू पर दर्द की शिकायत बतायी गयी थी।

चोट नम्बर–4 मजरूब के दाहिने हाथ आर्म पर निलगू का निशान था, जिसकी साइज 4X1 सेन्टीमीटर थी। जिसका रंग लाल था। जो सीधे कन्धे से 06 सेन्टीमीटर नीचे थी।

चोट नम्बर–5 मजरूब के बायीं फोर आर्म पर निलगू का निशान था। जिसका रंग लाल था। जिसकी साइज 4X1 सेन्टीमीटर थी। यह चोट दाहिने कलाई से 03 सेन्टीमीटर ऊपर थी।मेरी राय में चोट नम्बर–02 को छोडकर शेष सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी। जो किसी ठोस वस्तु या कुन्दालय से आना सम्भव है। सभी चोटे ताजी थी। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5 अ/6 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया।'' इसप्रकार इस विशेषज्ञ साक्षी के बयान के परिशीलन से भी स्पष्ट है कि मजरूब रामजीत को चार चोटें, निर्मला देवी को एक चोट व पांच चोटें आना दर्शित है। इसप्रकार इस विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सीय साक्ष्य से भी चोटहिलों को चोटें आना साबित है जिससे भी अभियोजन कथानक का समर्थन होता है।

इसप्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित तथ्य साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा रामजीत को लाठी डण्डा से मारकर साधारण उपहति कारित किया गया व उसे लाठी डण्डा से मार कर उसके बाये हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर कारित किया गया तथा निर्मला व जगलाल को मार पीट कर साधारण उपहति कारित किया गया तथा वादी को अनुसूचित जाति का जानते हुए सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया गया। चोटहिलों को आयी चोटों का समर्थन चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य से भी होता है तथा एक्स रे रिपोर्ट व विशेषज्ञ साक्षी के बयान में चोटहिल रामजीत के हाथ के अंगूठे में टूटन आना साबित है जिससे भी अभियोजन कथानक का समर्थन होता है।

उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण **रामशकल व झिनकू** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–323/34,325/34 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)X एससी/एसटी एक्ट को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण **रामशकल व झिनकू** धारा–323/34,325/34 भा0दं0सं0 व

धारा–3(1)X एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **रामशकल व झिनकू** को धारा–323/34,325/34 भा0दं0सं0 व धारा–3(1) X एससी/ एसटी एक्ट में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अतः उनके व्यक्तिगत बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभुगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(राम विलास सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एससी/एसटी एक्ट
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

दिनांक–22.12.2025

पत्रावली लंच बाद सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण का पहला अपराध है। अभियुक्तगण की कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्तगण परिवार के अकेले कमाने वाले व्यक्ति है। अभियुक्तगण के अतिरिक्त उनके परिवार की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। अभियुक्तगण के परिस्थितियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा व उसके भाई व बहन को लाठी डण्डा से मार पीट कर साधारण उपहति कारित करने, वादी मुकदमा को लाठी डण्डा से मार कर उसके हाथ का अंगूठा तोड़ देने, व सार्वजनिक स्थान जातिसूचक गालियॉ देकर अपमानित करने का आरोप सिद्ध हुआ है। अपराध अत्यन्त गम्भीर है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाय।

अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा व उसके भाई व बहन को लाठी डण्डा से मार पीट कर साधारण उपहति कारित करने, वादी मुकदमा को लाठी डण्डा से मार कर उसके हाथ का अंगूठा तोड़ देने, व सार्वजनिक स्थान जातिसूचक गालियॉ देकर अपमानित करने का

अपराध साबित है। इसप्रकार अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को निम्न दण्ड से दण्डित किये जाने का पर्याप्त एवं न्यायोचित आधार है जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होना सम्भव है।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **रामशकल व झिनकू को धारा– 323/34 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत **एक साल–एक साल के साधारण कारावास एवं मु0–1000/–,1000/–** रूपये (एक हजार–एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्तगण को 10–10 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **रामशकल व झिनकू को धारा– 325/34 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत **तीन साल–तीन साल** के साधारण कारावास एवं मु0–3000/–,3000/– रूपये (तीन हजार–तीन हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्तगण को एक माह–एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **रामशकल व झिनकू को धारा–3(1) X एससी/एसटी एक्ट** के अन्तर्गत **तीन साल–तीन साल के साधारण कारावास एवं मु0–3,000/–,3000/– रूपये** (तीन हजार–तीन हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्तगण को एक माह –एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि नियमानुसार सजा में समायोजित होगी। सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाया जाये।

अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

(राम विलास सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एससी/एसटी एक्ट
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

दिनांक–22.12.2025

यह निर्णय/दण्डादेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया ।

(राम विलास सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एससी/एसटी एक्ट
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

दिनांक–22.12.2025

C.N.R.NO-**UPAN010012712014**
SC/ST/100032/2014